दावा अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :— 24/12/25

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अजय सिंह चौहान व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर तहसीलदार रिपोर्ट, साक्ष्य एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि —

चक 34 एमओडी के प.न. 33/259 में प्रतिवादी संख्या 1 पुलित के नाम दर्ज भूमि के किला न. 15/2 की 0.019 है. नहरी भूमि के वादी संख्या 1 इमीलाल उर्फ अमीचंद को 1/2 हिस्सा व वादी स. 2 ता 5 को 1/2 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा किला न. 15/4 की 0.019 है. गै. मु. रास्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:43:36 IST
Reason: SelfAttested

किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 24/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:43:36 IST
Reason: SelfAttested